ई–मेल/स्पीड पोस्ट

8(क) – 5

पत्र संख्याः 1/वि0–1012/2022–सा0 प्र0–7674/

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

डॉ0 बी. राजेन्दर,भा0प्र0से0,

सरकार के प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना–15, दिनांकः 20 मई, 2022

विषय :– **जिला पदाधिकारियों द्वारा किए जाने वाले पत्र–व्यवहार में संबंधित जिला पदाधिकारी के नाम तथा राज्य से बाहर की यात्रा के आवेदनों में गंतव्य स्थल का स्पष्ट उल्लेख किए जाने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि जिला पदाधिकारियों से प्राप्त होने वाले अधिकांश पत्रों में संबंधित जिला पदाधिकारी के नाम का उल्लेख नहीं रहता है, जो स्थापित प्रशासनिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। नामरहित ऐसे पत्रों को पदाधिकारीवार चिह्नित/पृथक करने में अत्यन्त असुविधा भी होती है।

2. प्रायः यह भी देखा जाता है कि जिला पदाधिकारियों द्वारा मुख्यालय/राज्य से बाहर की यात्रा की अनुमति हेतु समर्पित किए जाने वाले आवेदनों–पत्रों में गंतव्य स्थल का नाम अंकित नहीं रहता है। जबकि, ऐसे आवेदनों–पत्रों में गंतव्य स्थल का नाम अंकित रहना चाहिए।

3. अतएव, जिला पदाधिकारी द्वारा प्रेषित होने वाले पत्रों में संबधित जिला पदाधिकारी के नाम तथा उनके स्तर से मुख्यालय/राज्य से बाहर की यात्रा की अनुमति हेतु समर्पित किए जाने वाले आवेदनों में गंतव्य स्थल का स्पष्ट उल्लेख किया जाय ।

4. **उपर्युक्त निदेश का अनुपालन दृढ़ता से सुनिश्चित किया जाय ।**

विश्वासभाजन,

BRajender
20.5.2022

सरकार के प्रधान सचिव।

405 | D:\Arvind Jee\Letter